राष्ट्रीय आवास बैंक NATIONAL HOUSING BANK

(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय परिणाम (₹ लाख में)

विवरण	31.12.2024 को समाप्त छमाही	31.12.2023 को समाप्त छमाही	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2023 को समाप्त तिमाही	30.09.2024 को समाप्त तिमाही	30.06.2024 वित्त वर्ष
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1. परिचालन से कुल आय&	3,70,344.80	3,06,826.28	1,85,306.67	1,52,477.12	1,85,038.12	6,47,081.54
2. अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, असाधारण और/या असामान्य मद#)	1,23,112.85	1,04,169.20	61,321.77	55,693.53	61,791.05	2,24,761.38
3. अवधि हेतु कर पूर्व निवल लाभ/(हानि), (असाधारण और/या असामान्य मदों के पश्चात#)	1,23,112.85	1,04,169.20	61,321.77	55,693.53	61,791.05	2,24,761.38
4. अवधि हेतु कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असामान्य मदों के पश्चात#)	91,676.60	80,019.20	44,471.77	45,643.53	47,204.80	1,66,360.39
5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर के पश्चात)]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. चुकता पूंजी (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00	1,45,000.00
7. आरक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों के अतिरिक्त)$	13,20,076.74	11,53,202.76	13,20,076.74	11,53,202.76	13,20,076.74	13,20,076.74
8. प्रतिभूति प्रीमियम खाता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9. नेटवर्थ (₹ करोड़ में)	14,432	12,603	14,432	12,603	13,988	13,386
10. चुकता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	93,98,066.25	83,42,126.11	93,98,066.25	83,42,126.11	88,12,973.44	94,40,289.97
11. बकाया प्रतिदेय वरीयता शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12. ऋण – इक्विटी अनुपात*	6.04	6.05	6.04	6.05	5.83	6.44
13. प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(क) मूल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ख) डाइल्यूटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14. पूंजी मोचन आरक्षित निधियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15. डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16. कर्ज चुकौती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17. ब्याज चुकौती कवरेज अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

& परिचालन से आय में अग्रिम, बैंक जमा और निवेश पर ब्याज आय शामिल है।
# असाधारण और/या असामान्य मदों को इंडएएस नियमों/एएस नियमों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायोजित किया गया है, जो भी लागू हो।
$ समाप्त तिमाही के लिए पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लिया गया।
* ऋण, कुल उधार को और इक्विटी, पूंजी सहित आरक्षित निधि और अधिशेष को इंगित करती है।

टिप्पणियां:

क) उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है।
ख) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों (www.bseindia.com/www.nseindia.com) एवं बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) पर उपलब्ध है।
ग) सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम के विनियम 52(4) में संदर्भित अन्य लाइन मद के लिए, बीएसई और एनएसई को प्रासंगिक प्रकटीकरण किए गए हैं और इन्हें यूआरएल (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर देखा जा सकता है।
घ) लेखा नीतियों में परिवर्तन (नों) के कारण निवल लाभ/हानि, कुल व्यापक आय या किसी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मदों पर प्रभाव का प्रकटीकरण फुटनोट के माध्यम से किया जाएगा। शून्य

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 फरवरी, 2025

कृते निदेशक मंडल
संजय शुक्ला
प्रबंध निदेशक

प्रधान कार्यालयः कोर 5ए, तीसरी–पांचवीं मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
क्षेत्रीय कार्यालयः मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर, भुवनेश्वर, पटना, रांची और तिरुवनंतपुरम।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड 501, साल्कन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली- 110025 तथा शाखा कार्यालय : शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नोएडा, सेक्टर 45, उत्तर प्रदेश

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ नीलामी सह विक्रय सूचना की सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट–IV–ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ खुली नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक अधिग्रहण षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, उसका **विक्रय 27 फरवरी 2025 को "जैसी हैं जहाँ हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहाँ जो कुछ भी हैं"** आधार पर किया जायेगा। यह विक्रय, **1. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री खादनंद शुक्ला (उधारकर्ता) सद्दलौरापुर निकट, मारीपत, रेलवे फाटक, नोएडा एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश 201301, 2. श्रीमती शिव कुमारी देवी पत्नी खादनंद शुक्ला (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी मकान संख्या 28, सदरपुर सेक्टर 45, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 की ओर से शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुगतेय 07/12/2023 के अनुसार रु. 14,11,000/– (रुपये चौदह लाख ग्यारह हजार मात्र)** की एक राशि तथा उक्तावधि के पश्चात् राशि पर नियत ब्याज व शुल्कों की वसूली करने हेतु किया जायेगा।
आरक्षित मूल्य रु. 8,35,200/– (रुपये आठ लाख पैंतीस हजार दो सौ मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा, बोली राशि की 10 प्रतिशत अर्थात् रु. 83,520/– (रुपये तिरासी हजार पांच सौ बीस मात्र) होगी। बाद की राशि 25–02–2025 को सायं 5 बजे तक अथवा इस से पूर्व बैंक में जमा की जानी है, जिसके विवरण यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :–

उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नामश	माँग सूचना तिथि तथा माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (धराज)
1. श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री खादनंद शुक्ला (उधारकर्ता) सद्दलौरापुर निकट, मारीपत, रेलवे फाटक, नोएडा एक्सटेंशन, उत्तर प्रदेश 201301, 2. श्रीमती शिव कुमारी देवी पत्नी खादनंद शुक्ला (गारंटर/बंधककर्ता) निवासी मकान संख्या 28, सदरपुर सेक्टर 45, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 ऋण खाता सं. (102741000266)	**07–12–2023 रु. 14,11,000/– (रुपये चौदह लाख ग्यारह हजार मात्र)**	अचल संपत्तियों के समस्त भाग तथा अंश– : 25 वर्ग गज क्षेत्रफल मे, खसरा नं. 122, ग्राम सदापुर कॉलोनी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजस्व अभिलेखों में बही नं. 1, जिल्द नं. 6817, पृष्ठ नं. 199 / 216 क्रमांक 4787 पर दिनांक 24–07–2015 को श्रीमती शिव कुमारी देवी के नाम पर पंजीकृत है।	**रु. 8,35,200/–** (रुपये आठ लाख पैंतीस हजार दो सौ मात्र)	आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात् रु. 83,520/– (रुपये तिरासी हजार पांच सौ बीस मात्र)

अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि : 24 फरवरी 2025 को, 11.00 बजे – 15.00 बजे
बोली खोलने की नीलामी तिथि एवं समय : 27 फरवरी 2025 को, 10.00 से 12.00 बजे
प्रस्तावों / धराज को जमा करने की अंतिम तिथि : 25 फरवरी 2025 को 5.00 बजे तक

विक्रय के विस्तृत नियमों तथा शर्तों के लिये कृपया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php में उपलब्ध कराये गये लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।
विक्रय के महत्त्वपूर्ण नियम तथा शर्तें :–

(1) संपत्ति का विक्रय "जैसी हैं जहाँ हैं, वहाँ जो कुछ भी हैं तथा बिना संसाधनगत वसूली" के आधार पर किया जा रहा है क्योंकि ऐसा विक्रय किसी भी आश्वासन एवं क्षतिपूर्ति के है।
(2) संपत्ति / प्रलेखों का निरीक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के साथ ऊपर दी गई तिथि एवं समय पर किया जा सकता है।
(3) विक्रय के समस्त सामान्य नियमों तथा शर्तों से समाविष्ट बोली प्रलेख / प्रपत्र यहाँ इसमें ऊपर वर्णित बैंक के शाखा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली प्रपत्र पर अपनी मोहरबंद बोलियां बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास भेजनी होंगी।
(4) मोहरबंद लिफाफे में जमा की जानेवाली बोली में, नीलामी संपत्ति हेतु बोली का उल्लेख किया गया हो तथा बोली, धराज (बोली राषि की 10 प्रतिषत के रूप में) के साथ "षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में आहरित एवं नोएडा में भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संलग्न कर 25 फरवरी 2025 को 5.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व बैंक के ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में जमा करनी होगी। बोलियां जो भरी नहीं गई होंगी अथवा अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त की गईं बोलियां अवैध मानी जाएंगी तथा उन्हें तद्नुसार निरस्त कर दिया जायेगा। धराज पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोलीदाता द्वारा एक बार बोली जमा कर दिये जाने पर उसे वापस नहीं लिया जा सकता।
(5) मोहरबंद बोलियां 27 फरवरी 2025 को 10.00 बजे – 12.00 बजे बैंक के उक्त वर्णित शाखा कार्यालय में उस समय उपस्थित रहनेवाले बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी तथा उसके पष्चात् योग्य बोलीदाताओं को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर, प्रस्तावगत मूल्य बढ़ाने के लिए पारस्परिक बोलीदान में भागीदारी करने का एक अवसर प्रदान किया जा सकता है।
(6) जमा किया जानेवाला बोली मूल्य, आरक्षित मूल्य से अधिक होगा तथा बोलीदाता को आगे रु. 50,000/– के गुणक में अपने प्रस्ताव को बढ़ाना होगा। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
(7) सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह विक्रय मूल्य की 25 प्रतिषत रकम (धराज सहित) का जमा भुगतान तत्काल अधिकतम अगले कार्यदिवस तक षिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में आहरित नोएडा में भुग्तेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करें तथा विक्रय मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल बोलीदाता को, बैंक द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15 दिवसों के अंदर, करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई धराज और विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता विक्रय के नियमों का पालन नहीं करता है अथवा कोई चूक करता है, तो धराज की जमा अथवा इसका 25 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, बैंक द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
(8) बैंक जो है वह प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में, किसी प्राधिकरण से अथवा लागूरत् किसी अन्य विधि के अंतर्गत, किसी अनुमति/एनओसी अथवा किसी अन्य देयराशि अर्थात् बकाया जल / विद्युत देयताएं, सम्पत्ति कर, नगरपालिका / पंचायत कर या अन्य प्रभार, यदि कोई, की अधिप्राप्ति का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता।
(9) सफल बोलीदाता जो है वो किसी विकास प्राधिकरण की बकाया देयराशियों, यदि कोई/नगर निगम अथवा किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को भुग्तेय कर/यूटिलिटी बिल तथा 'विक्रय प्रमाणपत्र' के पंजीकरण हेतु स्टांप शुल्क/पंजीकरण शुल्क इत्यादि भुगतानयोग्य शुल्कों सहित समस्त व्ययों के भुगतान वहन करेगा।
(10) प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा समस्त प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा विक्रय को स्थगित/निरस्त करने या किसी किसी पूर्व सूचना के बिना ही विक्रय के किसी नियम को संशोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार सुरक्षित है।
(11) एक बार बोलियों को लगाने के बाद उन्हें निरस्त अथवा वापस नहीं किया जा सकेगा।
(12) अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार बैंक, बैंक को छोड़कर, विक्रय की जानेवाली सम्पत्ति पर किसी भारग्रस्ता के बारे में अवगत नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्पत्ति पर अपना स्वयं का आकलन कर लेना चाहिए। बैंक किसी भी प्रकार से उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्ता / हकदारी के संबंध में गारंटी नहीं देता अथवा कोई अभिवेदन प्रकट नहीं करता। किसी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को, उपर्युक्त सम्पत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी व्यक्ति को देय किसी प्रभार, धारणाधिकार, भारग्रस्तता, सम्पत्ति कर अथवा किसी अन्य देय के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि वे विक्रय कार्यवाही के समय पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहें तथा वे विक्रय के नियमों एवं शर्तों के विवरणों के अनुसार यहाँ इसमें ऊपर विवरणितानुसार अचल सम्पत्ति को क्रय करने के लिए इच्छुक क्रेताओं / खरीददारों को अपने साथ ला सकते हैं।
(13) अचल सम्पत्ति का विक्रय सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा। हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास, यदि वे अनिवार्य समझते हैं, परस्पर बोलीदान की अनुमति प्रदान करने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है।
(14) बैंक, बैंक की जानकारी से बाहर की सम्पत्ति पर निर्धारित किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
(15) उधारकर्ता(ओं) / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत अचल प्रतिभूत परिसंपत्तियों की 15 दिवसीय विक्रय सूचना दी जाती है कि वे समाचारपत्र के क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित इस सूचना की तिथि से 30 दिवसों के अंदर अद्यतन ब्याज एवं व्ययों के साथ ऊपर अंकितानुसार बकाया देयराशियों व अपनी देयताओं का पूर्ण भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में प्रतिभूत परिसंपत्ति को ऊपर वर्णित नियमों एवं शर्तों के अनुसार बेच दिया जायेगा। यदि यहाँ अंग्रेजी एवं देषी भाषा के समाचार–पत्रों में विक्रय सूचना के प्रकाषनों के मध्य कोई अंतर होता है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार–पत्र देषी भाषा के समाचार–पत्र का अधिक्रमण करेगा तथा इसे ही अंतिम प्रति के रूप में माना–विचारा जाएगा, इस प्रकार प्रकाषन अस्पष्टता दूर होगी। यदि उधारकर्ता /गारंटर/बंधककर्ता, बैंक को देय राशि का विक्रय की तिथि से पूर्व पूर्ण भुगतान कर देते हैं तो नीलामी को रोक दिया जायेगा। हालांकि ऐसी स्थितियों में, सूचना में बकाया राशि पर ऋण प्रलेखानुसार, राशि के वसूल होने तक देय एवं भुगतानयोग्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, इत्यादि लागू अनुसार प्रभारित होंगे।
(16) प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं प्रश्नातीत है। बोली जमा कर चुके सभी बोलीदाताओं के बारे में यह माना जायेगा कि उन्होंने नीलामी विक्रय के नियमों एवं शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा वे उन पर बाध्यकारी हैं।
विवरणों, सहायता, प्रक्रिया एवं बोलीदान के लिये प्रस्तावित बोलीदातागण **श्री सिद्धार्थ, संपर्क संख्या 9811864937** से संपर्क कर सकते हैं।

1. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूत ऋणदाता, बैंक सभी उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को उनके पतों पर डाक द्वारा विक्रय सूचना निर्गत करने जा रहे हैं। यदि यह सूचना किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है, तो विक्रय सूचना के इस प्रकाशन को सूचना–प्राप्ति के वैकल्पिक माध्यम के रूप में माना जा सकता है।
2. उधारकर्ता/सह–उधारकर्तागण / गारंटरगण / बंधककर्तागण को भी एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें इस प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर पूर्व अनुमति के साथ, उपरोक्त परिसरों के अंदर / बैंक की अभिरक्षा में पड़े अपने घरेलू सामानों, यदि कोई हो, की सुपुर्दगी अवश्य लेनी होगी। ऐसा न करने पर बैंक का उन सामानों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व / जवाबदेही नहीं होगी और वह उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं के जोखिम पर उनका निस्तारण करेगा और इनके विक्रय से होनेवाली आय को बकाया राशि में समायोजित करेगा।
3. यदि किसी भी कारण, चाहे जो कुछ भी हो, से नीलामी विफल हो जाती है तो कंपनी, सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिदेशित प्रावधानों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से उपरोक्त बंधककृत संपत्तियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होगी।

दिनाँक : 07–02–2025 स्थान : नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

संख्यांक 2

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
वाणिज्यिक न्यायालय क्रम-2, जयपुर महानगर द्वितीय

Axis Bank Ltd. विरूद्ध **उरविन्दर सिंह व अन्य**
72
3.02.25
वाद बाबत् वसूली
वाद सं. 171/ 2023 c/s 100/24

श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री हरजीत सिंह एवं श्री उरविन्दर पुत्र हरजीत सिंह, मकान नं. 54, ब्लॉक नं. 67, सेक्टर 17ए, सुखराली गुड़गांव (हरियाणा)

...... ने आपके विरूद्ध .... के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 13/2/2025 को दिन में ..... बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे बा शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 03 माह 02 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

(मोहर)
Reader
Commercial Court No. 2, Jaipur Metropolitan - II

1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए और ऐसी दस्तावेज पेश कराने के लिए, जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार है, सम्मन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक खर्चों की रकम जमा कराके ले सकते हैं।
2. यदि आप दावे को स्वीकार करते हैं, तो आपको चाहिए कि वाद के खर्च के साथ उस दावे का धन न्यायालय में जमा करा दे जिससे कि डिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी संम्पत्ति या दोनों के विरुद्ध न करना पड़े।

Home First Finance Company India Limited

CIN : L65990MH2010PLC240703 Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

शुद्धिपत्र

कृपया नाजिम सुल्तान, गुलशन जहां तथा सम्पत्ति पता मकान – प्लॉट नंबर 4/3, खसरा नंबर 211 ए मिन, ग्राम नीझरा, काशीपुर, खसरा नंबर 211 ए मिन, ग्राम नीझरा, काशीपुर, काशीपुर, उत्तराखण्ड–244713, चौहद्दी – पूरब : रोड 20 फीट चौड़ी, पश्चिम : विक्रेता का प्लॉट (प्लॉट नंबर 1), उत्तर : विक्रेता की सम्पत्ति (प्लॉट नंबर 3), दक्षिण : अन्य का मकान के संबंध में बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेजी + हिन्दी) में 13–12–2024 को प्रकाशित बिक्री की सूचना विज्ञापन के संदर्भ में देखें। नोट करें कि इस खाते हेतु बिक्री की सूचना दिनांकित 13–12–2024 तथा नीलामी दिनांक 13–01–2025 रद्द कर दी गई है। शेष विषय–वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है।

स्थान : एनसीआर **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 08–02–2025 **होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड**

SOUTH INDIAN Bank

शाखा पता : एमबी–155, भू तल, मधुबन पार्क के सामने, दिल्ली–110092
शाखा मेल आईडी : br0420@sib.co.in

बैंक में बंधकों हेतु स्वर्ण नीलामी

जबकि, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने कर्जदार को उसके द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण के संबंध में बकाया राशि चुकाने के लिए बिक्री सूचना(एं) जारी की थीं। कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहा है, अतः एतद्द्वारा कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वर्ण आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी **"जैसा है जहां है आधार" एवं "जो भी है वहां है आधार" एवं "कोई उपाय नहीं आधार"** पर संचालित की जाएगी। उक्त नीलामी कर्जदार **सुश्री रूमा जायसवाल खाता नंबर 0420653000006017** के संबंध में दिनांक **17–02–2025 को दोपहर 12.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक https://egold.auctiontiger.net** के माध्यम से संचालित की जाएगी।
कृपया अधिक जानकारी के लिए ऑक्शन टाइगर से 6352632523 पर सम्पर्क करें।

हस्ता./– प्रबंधक
दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पहली मंजिल, यूनिट नं. 103, पी.पी. ट्रेड सेंटर, प्लॉट नंबर 1, नेता जी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के प्रावधानों के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

आम जनता और उधारकर्ता तथा गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार/केएमबीएल) के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने 31.05.2024 को ले लिया है, टॉरस इंटरनेशनल (प्रोजेक्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य तथा इसके गारंटरों से केएमबीएल की बकाया राशि रु. 22,78,65,725.63 (रुपये बाईस करोड़ अठहत्तर लाख पैंसठ हजार सात सौ पच्चीस और तिरेसठ पैसे मात्र) दिनांक 21/03/2024 तक, साथ में 22.03.2024 से वसूली तक संविदा दर पर अतिरिक्त ब्याज, साथ में सभी आकस्मिक लागत, शुल्क और व्यय इत्यादि सहित हेतु आयोजित होने वाली ई–नीलामी के माध्यम से "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 28/02/2025 को बेचा जाएगा।
आरक्षित मूल्य, बयाना राशि, संपत्ति का विवरण और नीलामी की तारीख का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	भार
1.	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि टॉरस वेयर हाउस जी+2, फ्लोर स्ट्रक्चर, प्लॉट नंबर 673, केएचः 875/2 गैर–कृषि भूमि क्षेत्रफल 3100.00 वर्ग गज, खसरा नं. 875/2, के–2 ब्लॉक, डिफेंस एन्क्लेव, महिपालपुर एक्सटेंशन, भाग–।।, गांव महिपालपुर, नई दिल्ली, उस पर मौजूद सभी इमारतों और संरचनाओं के साथ और संबंधित बंधक की तारीख से/उसके बाद किसी भी समय वहां खड़ी/निर्मित की जाने वाली इमारतें और संरचनाएं और उनमें किए गए सभी जोड़ और सभी जुड़नार और फर्नीचर और प्लांट और मशीनरी जो धरती से जुड़ी हैं या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान और भविष्य दोनों। सीमाएंः– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– अन्य संपत्ति, उत्तर– रोड 15 फीट, दक्षिण– अन्य संपत्ति। बंधककर्ता का नामः श्री कंवरजीत सिंह कोचर उर्फ श्री कंवरजीत कोचर/श्री कंवलजीत सिंह	रु. 54,61,00,000/-	रु. 5,46,10,000/-	ज्ञात नहीं

ईएमडी जमा करने और बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि	27.02.2025 को शाम 4 बजे तक https://kotakbank.auctiontiger.net
ई–नीलामी की तिथि और समय	28.02.2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच। ई–नीलामी के अंतिम 5 मिनट के भीतर बोली लगाने पर नीलामी का अंतिम समय 5 मिनट तक बढ़ाया जाएगा।
बोली वृद्धि राशि	रु. 10,00,000/– (केवल दस लाख रुपये) या उसके गुणकों में

अपनी जानकारी और ज्ञान के अनुसार, कोटक बैंक को नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में किसी अन्य भार या वैधानिक बकाया, संपत्ति बकाया, भूमि राजस्व या किसी अन्य बकाया के बारे में जानकारी नहीं है। संपत्ति कर, भूमि राजस्व बकाया, नगर निगम कर शुल्क / बकाया, बिजली बकाया आदि जैसे सभी वैधानिक बकाया सफल बोलीदाता / संभावित खरीदार(ओं) द्वारा निर्धारित और वहन किए जाएंगे।
वर्तमान में, गिरवी रखी गई संपत्ति किरायेदारों के कब्जे में है और इसे "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीलाम किया जाएगा।
ऊपर निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी और अभिलेखों के अनुसार बताए गए हैं, तथापि, उक्त विवरण में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। महत्वपूर्ण नियम और शर्तें: 1. बिक्री के नियम और शर्तें वेबसाइट/पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net या https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html पर उपलब्ध हैं। 2. नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के जरिए वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net के जरिए 28/02/2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 5 मिनट की असीमित अवधि के साथ आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति प्रतीकात्मक कब्जे में है। 3. मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - नीलामी टाइगर बी-704, वॉल स्ट्रीट- ii, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद - 380006 गुजरात (भारत) टेलीफोन नंबर पर। राम शर्मा -8000023297 और ई-मेल आईडी: ramprasad@auctiontiger.net और support@auctiontiger.net पर संपर्क करें। 4. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण के लिए कोटक बैंक की वेबसाइट - https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html पर जा सकते हैं। 5. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर जाने की सलाह दी जाती है और उक्त नियम और शर्तें बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगी। इसके अलावा, बोली को kyc दस्तावेजों के साथ 27/02/2025 को या उससे पहले पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा और उसकी एक प्रति मेल द्वारा singh.prabhjot@kotak.com और ashwin.sharma@kotak.com पर भेजनी होगी। 6. संभावित बोलीदाता उपरोक्त संपर्क नंबरों पर मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 7. बयाना राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या में जमा की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ए/सी 8411307138 ई-नीलामी, मलाड (पूर्व) शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड: kkbk0000646, 27/02/2025 को या उससे पहले शाम 4:00 बजे तक ईएमडी राशि जमा किए बिना प्रस्तुत की गई कोई भी बोली स्वतः ही अस्वीकृत हो जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। 8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली की कीमत आरक्षित मूल्य से कम नहीं होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोलियां प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं को अपने आगे के प्रस्तावों को रुपये के गुणकों में सुधारना होगा। 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये)। 9. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (जिसमें भुगतान की गई ईएमडी राशि शामिल होगी) ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही के समापन पर तुरंत या अगले कार्य दिवस पर जमा करना होगा यदि नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद हैं, जैसा कि ऊपर खंड 5 में निर्धारित किया गया है। शेष राशि 75% उच्चतम बोली राशि स्वीकृति / बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर या तय समय अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए। 10. ऊपर बताए गए निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और बिक्री पूरी हो जाएगी, उसके बाद कोटक बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। 11. प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना किसी पूर्व सूचना और कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/रद्द करने/बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक है। 12. सफल बोलीदाता/खरीदार आदि के नाम पर स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए देय पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी शुल्क/बकाया राशि खरीदार द्वारा वहन की जाएगी। 13. कोटक बैंक द्वारा असफल बोलीदाताओं को सात कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। 14. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार, कुल बिक्री मूल्य पर लागू दर से कर का भुगतान किया जाएगा और टीडीएस प्रमाणपत्र कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, बंधककर्ता और नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के मालिक के पक्ष में जारी किया जाएगा।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक नोटिस

मुख्य ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित राशि, साथ ही लागू ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी/बेच दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी और इस नोटिस को ऊपर उल्लिखित ऋणी/गारंटर और बंधककर्ता के लिए बिक्री के नोटिस के रूप में भी माना जाएगा।
संपत्ति के बारे में किसी अन्य जानकारी के लिए कृपया अश्विन शर्मा-8655762148/श्री प्रभजोत सिंह-8860603853 से संपर्क करें। यह उधारकर्ता/गारंटर के लिए भी एक सूचना है कि यदि ई-नीलामी की तिथि से पहले बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है तो नीलामी आगे बढ़ेगी। कृपया ध्यान दें कि अंग्रेजी में प्रकाशित नीलामी नोटिस और स्थानीय भाषा में प्रकाशित अन्य नीलामी नोटिस के बीच किसी भी विसंगति/असंगतता के मामले में अंग्रेजी में प्रकाशित नोटिस की सामग्री मान्य होगी।

स्थानः दिल्ली, तिथिः 08.02.2025 **कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

यूनिपार्ट्स इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रिपवेल हाऊस, ब्लॉक-5, सेक्टर- सी 6 एवं 7, बसंत कुंज, नई दिल्ली -110070
कॉरपोरेट कार्यालय: प्रथम मंजिल बी 208, ए1 एवं 2,फेस-II, नौयडा-201305, (उ०प्र०) इण्डिया
CIN : L74899DL1994PLC061753, दूरभाष: +91 120 4581400
ईमेल : compliance.officer@unipartsgroup.com; वेबसाइट : www.unipartsgroup.com

UNIPARTS GROUP

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित समेकित एवं अनअंकेक्षित एकीकृत वित्तीय परिणामों का उद्धरण (आईएनआर मिलियन्स में)

एकीकृत

क्र० सं०	विवरण	समाप्त तिमाही 31-12-2024 अनअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30-09-2024 अनअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31-12-2023 अनअंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31-12-2024 अनअंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31-12-2023 अनअंकेक्षित	समाप्त वार्षिक 31-03-2024 अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय	1,339.22	1,806.51	1,978.20	4,722.69	5,918.25	7,969.62
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	104.61	416.33	464.40	697.96	1,192.83	1,618.25
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	104.61	416.33	464.40	697.96	1,192.83	1,618.25
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	77.07	385.30	428.59	593.39	1,037.71	1,414.06
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	61.43	350.24	439.90	576.08	1,049.37	1,446.63
6	चुकता इक्वीटी कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर)	451.34	451.34	446.20	451.34	446.20	451.34
7	रिजर्व रिवेल्युएसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि तुलन पत्र की तिथि को						5,112.95
8	प्रति इक्वीटी शेयर आय सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक						
	मूल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रू० में) (*वार्षिक नहीं)	1.71*	8.54*	9.75*	13.15*	23.44*	31.91
	तरल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रू० में) (*वार्षिक नहीं)	1.71*	8.54*	9.49*	13.15*	22.99*	31.33

समेकित (आईएनआर मिलियन्स में)

क्र० सं०	विवरण	समाप्त तिमाही 31-12-2024 अनअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 30-09-2024 अनअंकेक्षित	समाप्त तिमाही 31-12-2023 अनअंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31-12-2024 अनअंकेक्षित	समाप्त नौमाही 31-12-2023 अनअंकेक्षित	समाप्त वार्षिक 31-03-2024 अंकेक्षित
1	संचालन से कुल आय	2,135.69	2,467.44	2,625.59	7,257.43	8,549.12	11,488.60
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	247.03	275.56	322.30	855.06	1,244.41	1,633.56
3	कर से पहले अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	247.03	275.56	322.30	855.06	1,244.41	1,633.56
4	कर के बाद अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	191.38	211.46	259.53	651.76	960.59	1,246.88
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	186.22	151.81	251.97	617.69	939.64	1,241.44
6	चुकता इक्वीटी कैपीटल (सममूल्य रू० 10/- प्रति शेयर)	451.34	451.34	446.20	451.34	446.20	451.34
7	रिजर्व रिवेल्युएसन रिजर्व को छोड़कर जैसा कि तुलन पत्र की तिथि को						8,227.47
8	प्रति इक्वीटी शेयर आय सममूल्य रू० 10/- प्रत्येक						
	मूल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रू० में) (*वार्षिक नहीं)	4.24*	4.68*	5.93*	14.44*	21.69*	28.13
	तरल आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रू० में) (*वार्षिक नहीं)	4.24*	4.68*	5.75*	14.44*	21.28*	27.62

Notes:

1 उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग दायत्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। विस्तृत वित्तीय परिणाम और इस उद्धरण की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई और कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा फरवरी 06, 2025 को आयोजित उनकी सम्बन्धित बैठक में अनुमोदित किया गया। स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण कथन प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट (https://www.unipartsgroup.com/home/quarterly_financial_results) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (www.nseindia.com) एवं बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसे नीचे दिये गये क्यू आर कोड को स्कैन कर के भी देखा जा सकता है।

2 कम्पनी मुख्य रूप से ऑफ–हाईवे वाहनो के लिए लिंकेज पार्ट्स और घटकों के निर्माण का व्यवसाय करती है। मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम), कम्पनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, कम्पनी के विभिन्न संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर, मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम), ने निर्णय लिया है कि कम्पनी के लिए कोई रिपोर्ट करने योग्य खण्ड नहीं है।

3 कम्पनी के निदेशक मंडल ने उनकी फरवरी 06, 2025 की सम्पन्न बैठक में विचार किया और रू० 7.50 (रूपये सात एवं पचास पैसे केवल) प्रति शेयर i.e. @ 75.00% के समूल्य रू० 10/- (रू० दस केवल) प्रत्येक, पूर्ण चुकता इक्वीटी शेयर पर दिसम्बर 31, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के लिए अंतरिम लाभांष की घोषणा की है।

मंडल की ओर से उनके लिए
गुरदीप सोनी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
DIN: 00011478

स्थान : नौयडा, उ० प्र०
तिथि : फरवरी 06, 2025